भारत सरकार **लोकसभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3810**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विशेष आर्थिक क्षेत्र

3810. प्रो. सौगत राय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वीकृत, अधिसूचित, कार्यशील और गैर-कार्यशील विशेष आर्थिक क्षेत्रों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान एसईजेड द्वारा सृजित कुल निवेश, निर्यात और रोजगार वर्ष-वार कितना है;

(ग) क्या सरकार ने कम उपयोग वाले और गैर-कार्यशील एसईजेड सहित मौजूदा एसईजेड के निष्पादन की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का निष्पादन न करने वाले एसईजेड को पुनर्जीवित करने, पुनरुद्देशित करने या गैर-अधिसूचित करने तथा निवेश और निर्यात में सुधार के लिए नियामक ढांचे को सरल बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्यों, मुक्त व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन और प्रस्तावित उद्यम तथा सेवा केंद्र विकास (डीईएसएच) ढांचे के आलोक में एसईजेड की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियमावली, 2006 के अंतर्गत स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मुख्य रूप से निजी निवेश आधारित पहल है। वस्तुओं के निर्माण या सेवाएं प्रदान करने के लिए या दोनों के लिए या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र के रूप में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग से एक एसईजेड की

स्थापना की जा सकती है। अनुमोदित, अधिसूचित, परिचालनात्मक और गैर- परिचालनात्मक एसईजेड की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एसईजेडों द्वारा सृजित कुल निवेश, निर्यात और रोजगार का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) एसईजेडों को परिचालित करने में लगने वाला समय कई कारणों से हो सकता है जिनमें सांविधिक/राज्य सरकार के निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन के कारण प्रतिकूल कारोबारी माहौल, राजकोषीय प्रोत्साहनों में परिवर्तन आदि शामिल हैं। वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण के तहत, अधिकार क्षेत्र वाले विकास आयुक्त का कार्यालय, राज्य सरकारों और डेवलपर्स को आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए जब भी आवश्यक हो, नियमित रूप से सभी एसईजेड की स्थिति की समीक्षा करता है।

(घ) एसईजेडों से निवेश और निर्यातों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने और निवेश और निर्यातों में सुधार करने की दृष्टि से सरकार विभिन्न हितधारको के परामर्श से एसईजेडों में परिचालनात्मक चुनौतियों को दूर करने के लिए समय-समय पर एसईजेडों की अधिसूचना रद्द करने सहित विभिन्न उपाय करती है। नीतिगत पहलों सहित ऐसे उपाय या सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और जब आवश्यकता होती है, एसईजेडों के प्रशासन में इसे लागू किया जाता है।

(ङ) सरकार बदलते वैश्विक व्यापार पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एसईजेडों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर कदम उठाती है। एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 को समय-समय पर संशोधित किया गया है ताकि सरलीकृत विनियामक व्यवस्था, अधिक परिचालनात्मक लचीलापन, घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ वर्धित एकीकरण जिससे एसईजेडों में निवेश, प्रौद्योगिकी अपनाने, नवाचार और मूल्यवर्धन के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके। व्यापारिक भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते विस्तारित बाजार पहुंच, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ गहन एकीकरण और निर्यात के बढ़े हुए अवसर के संदर्भ में एसईजेड ढांचे के पूरक हैं।

11.08.2026 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3810 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

एसईजेड का राज्यवार ब्यौरा (31.07.2026 तक)				
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गैर-परिचालनात्मक एसईजेड	**कुल स्वीकृत एसईजेड**	**कुल अधिसूचित एसईजेड**	**कुल परिचालनात्मक एसईजेड**	**गैर- परिचालनात्मक एसईजेड**
आंध्र प्रदेश	36	31	25	6
अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	1
बिहार	2	2	0	2
चंडीगढ़	2	2	2	0
छत्तीसगढ	4	3	1	2
दिल्ली	2	0	0	0
गोवा	7	3	0	3
गुजरात	32	28	22	6
हरियाणा	25	22	8	14
झारखंड	2	2	1	1
कर्नाटक	60	49	38	11
केरल	24	20	19	1
मध्य प्रदेश	13	8	6	2
महाराष्ट्र	47	41	36	5
मणिपुर	1	1	0	1
नागालैंड	2	2	0	2
ओडिशा	8	6	5	1
पुदुचेरी	3	2	0	2
पंजाब	5	3	3	0
राजस्थान	7	6	3	3
सिक्किम	1	0	0	0
तमिलनाडु	60	58	49	9
तेलंगाना	55	50	38	12
त्रिपुरा	1	1	0	1
उत्तर प्रदेश	26	23	14	9
पश्चिम बंगाल	10	8	7	1
कुल योग	436	372	277	95

11.08.2026 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3810 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

पिछले 5 वर्षों के दौरान एसईजेड से निवेश, निर्यात और रोजगार			
वित्तीय वर्ष	निवेश* (करोड़ रु.)	निर्यात (करोड़ रु.)	रोज़गार* (व्यक्ति)
2021-22	6,49,705	9,90,747	26,96,180
2022-23	6,60,184	12,63,578	28,95,612
2023-24	7,07,342	13,55,220	31,94,104
2024-25	7,82,192	14,63,669	31,77,893
2025-26	7,59,870	16,36,192	32,61,147

नोट: *संचयी आधार पर गणना की गई।